लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./सी/67(23)/अनलॉक/प्रावि–मावि/2017–18/748 भोपाल, दिनांक 26.05.18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन में हुई त्रुटि के आवेदनों को अनलॉक कराने का अंतिम अवसर बाबत्।

:: 00 ::

कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन के दौरान हुई त्रुटि के लिए उनके जिले से संबंधित त्रुटि पूर्ण सत्यापन के ऑनलाईन आवेदनों को अनलॉक कराने का अनुरोध किया है। संभवतः ऐसी स्थिति अन्य जिलों में हो सकती है।

2/ ऐसे प्रकरणों को अनलॉक कराने के लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले से संबंधित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन हेतु शासन आदेश दिनांक 10.07.17 एवं इसके अनुक्रम में जारी निर्देशों के प्रकाश में ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन में कोई त्रुटि हुई है तो ऐसे प्रकरणों को अनलॉक कराने के लिए दिनांक 28.05.18 तक साफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी में एकजाई जानकारी संचालनालय के ई–मेल shikshakarmi-dpi@mp.gov.in पर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। तद्नुसार जानकारी निम्नानुसार प्रारुप में भेजी जाना है :-

स.क.	यूनिक आई.डी.	नाम एवं पद	कार्यरत संस्था	कार्यरत संस्थ का डाइस कोड	सत्यापन में त्रुटि का कारण
1	2	3	4	5	6

3/ यदि आपके जिले के ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन में कोई त्रुटि नही हुई है तो निरंक जानकारी उक्त प्रारुप में अनिवार्य रुप से दिनांक 28.05.18 तक भेजेगें। आपके जिले की वांछित जानकारी समय–सीमा में प्राप्त नही होती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें। कृपया ध्यान रहे कि सत्यापन के त्रुटि सुधार प्रकरणों को अनलॉक कराने के लिए यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कृपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./शि.क./सी/67(23)/अनलॉक/प्रावि–मावि/2017–18/749 भोपाल, दिनांक 26.05.18

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, भोपाल।
4. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विध्यांचल–भवन, भोपाल।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद् मध्यप्रदेश।
11. श्री सुमनकान्त जैन, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्थानीय की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश